



The Uttar Pradesh Education Services Selection Commission Act, 2019

Act 22 of 2019

Keyword(s):

Board, Chairperson, Authorized Officer, Management, Non-Teaching Employee, Year of Recruitment

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2019

पौष 6, 1941 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2241/79-वि-1-19-1(क)-21-19

लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-5 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध और सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अथवा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन स्थापित क्रमशः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा मान्यता प्राप्त क्रमशः अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों और बेसिक तथा जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के चयन हेतु राज्य में एक शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2--(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) 'परिषद्' का तात्पर्य क्रमशः माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा की संस्थाओं के संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज या बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज से है;

(ख) 'आयोग' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से है;

(ग) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसमें अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;

(घ) 'निदेशक' का तात्पर्य यथास्थिति निदेशक, उच्च शिक्षा या निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या निदेशक, बेसिक शिक्षा से है और इसमें उसके द्वारा प्राधिकृत संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा और अपर निदेशक, माध्यमिक/राजकीय/बेसिक शिक्षा सम्मिलित हैं;

(ङ) 'प्राधिकृत अधिकारी' का तात्पर्य निदेशक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से है;

(च) 'संस्था' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न निम्नलिखित किसी संस्था से है :-

(1) कोई सम्बद्ध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, जिसे सम्बद्धता का विशेषाधिकार, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया हो;

(2) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन स्थापित परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या हाईस्कूल तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(3) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् का कोई विद्यालय अथवा कोई सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, जिसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन स्थापित परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई सहायता प्राप्त सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय सम्मिलित है।

(छ) किसी संस्था के सम्बन्ध में 'प्रबन्धतन्त्र' का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति से या उस संस्था के कार्यों का प्रबन्ध तथा संचालन करने की भाक्तियों से युक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी से है;

(ज) 'सदस्य' का तात्पर्य आयोग के किसी सदस्य से है;

(झ) 'शिक्षणोत्तर कर्मचारी' का तात्पर्य शिक्षण से भिन्न प्रयोजन के लिए किसी संस्था में नियोजित किसी व्यक्ति से है;

(ञ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट) 'विनियमावली' का तात्पर्य धारा 26 के अधीन बनायी गयी विनियमावली से है;

(ड) 'अध्यापक' का तात्पर्य किसी संस्था में अनुदेश देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति से है जिसमें कोई प्राचार्य या प्रधानाध्यापक सम्मिलित है, किन्तु किसी राजकीय इण्टर कालेज का प्राचार्य और किसी राजकीय हाईस्कूल का प्रधानाध्यापक सम्मिलित नहीं हैं;

(ड) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के 1 जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 में परिभाषित भाषाओं तथा पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय—दो

आयोग की स्थापना और उसके कृत्य

3—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तथा उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नामक एक आयोग स्थापित करेगी।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा।

(3) इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा।

4—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को एवं से,—

(क) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की समस्त सम्पत्तियाँ और आस्तियाँ आयोग को अंतरित हुईं और उसमें निहित हो जायेंगी;

(ख) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त ऋण, देनदारियाँ तथा बाध्यताएँ, चाहे संविदाजात अथवा अन्यथा हों, आयोग को अंतरित हो जायेंगी;

(ग) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रत्येक पूर्ण कालिक कर्मचारी की सेवायें, आयोग को अन्तरित हो जायेंगी;

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समक्ष लम्बित कोई मामला, जैसा कि यह आयोग की स्थापना के ठीक पूर्व विद्यमान था, आयोग को अन्तरित हो जायेगा।

5—(1) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले निम्नवत् अध्यक्ष और सदस्य होंगे,—

(क) अध्यक्ष, कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो,—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो, जिसने राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो; या

(दो) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो; या

(तीन) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य हो या रहा हो और जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो;

(ख) एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य हो या रहा हो जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या कोई अन्य समकक्ष पद धारित किया हो;

आयोग की स्थापना

आस्तियों एवं देनदारियों का अंतरण

आयोग का गठन

(ग) एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा से निम्न न हो या रहा हो, जिसकी सेवायें उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(घ) एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या बेसिक शिक्षा से निम्न न हो या रहा हो, जिसकी सेवायें उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(ङ) चार सदस्य ऐसे शिक्षाविद होंगे, जिनकी सेवायें उत्कृष्ट कोटि की रही हों, जिन्होंने राज्य सरकार की राय में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति, उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

6—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक के लिये अथवा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे;

(2) कोई व्यक्ति दो निरन्तर पदावधियों से अधिक के लिए अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद धारण नहीं करेगा;

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय;

(4) अध्यक्ष या सदस्यों का पद, पूर्णकालिक होगा और अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा निदेश दे।

हटाने की शक्तियाँ

7—(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह,—

(क) दिवालिया न्याय—निर्णीत किया गया हो; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी संदत्त सेवायोजन में संलग्न हो; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो; या

(घ) इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किसी अनर्हता का भागी हो।

स्पष्टीकरण— जहाँ अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य किसी संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, किसी रूप में सम्बद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसकी प्रसुविधाओं में या उससे उद्भूत होने वाली किसी प्रसुविधा या परिलब्धि में सदस्य से भिन्न अन्यथा रूप में सहभागी हो, वहाँ उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार का अन्वेषण करने और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

सहयुक्त करने की शक्ति

8—आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह, वह इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

आयोग के अधिकारी और कर्मचारी

9—(1) आयोग का सचिव, उसके परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और उपसचिव, राज्य सरकार द्वारा अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जायेंगे और उनकी अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अवधारित करे।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये जाने वाले निदेशों के अध्याधीन आयोग ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन करने के लिए आवश्यक समझे, ऐसे निबन्धन और सेवा शर्तों, जिन्हें आयोग विनियमावली द्वारा विहित करे, पर नियुक्त कर सकता है।

10-आयोग की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

(क) अध्यापकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती की रीति से सम्बन्धित मामलों में मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) अध्यापकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए, जहाँ आवश्यक हो, परीक्षा संचालित करना और साक्षात्कार आयोजित करना तथा अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(घ) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संस्तुति करना;

(ङ) संस्थाओं के अध्यापकों की पदच्युति, हटाये जाने या पदावनत किये जाने से सम्बन्धित मामलों में प्रबन्धतंत्र को सलाह देना;

(च) अध्यापक वर्ग की सदस्य संख्या और अध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति, हटाये जाने, सेवा समाप्ति या पदावनति के सम्बन्ध में संस्थाओं से नियतकालिक विवरणियाँ या अन्य सूचना प्राप्त करना;

(छ) विशेषज्ञों की परिलब्धियाँ और यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना;

(ज) आयोग के निस्तारणार्थ रखी गयी निधियों को प्रशासित करना;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसा कि विहित किया जाय या जो इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के अधीन अपने कृत्यों का निस्तारण करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हों।

11-(1) सीधी भर्ती द्वारा अध्यापकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन करने के प्रयोजनार्थ प्रबन्धतंत्र विद्यमान या भर्ती के वर्ष के दौरान सम्भावित रिक्तियों की संख्या और संस्था के प्रधान के पद से भिन्न किसी पद की स्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और रिक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी, जैसा विहित किया जाय, के माध्यम से आयोग को अधिसूचित करेगा।

(2) सीधी भर्ती द्वारा अध्यापकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के प्रयोजनार्थ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण राज्य सरकार द्वारा विहित किया जायेगा और आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विनिर्देशों के अनुसार अनुज्ञेय होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का तात्पर्य, संविधान (103 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 में निर्दिष्ट है।

(3) अध्यापकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा की विहित किया जाय।

12-(1) आयोग, धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन रिक्ति अधिसूचित किये जाने के पश्चात् यथा त्वय भीष्म, सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापक जूनियर बेसिक विद्यालय एवं सीनियर बेसिक विद्यालय और शिक्षणेतर कर्मचारियों के अभ्यर्थियों से भिन्न अभ्यर्थियों की परीक्षाएँ तथा साक्षात्कार आयोजित करना और नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये लोगों का पैनल तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पैनल, धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय अग्रसारित किया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पैनल प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों के सम्बन्ध में चयन किये गये अभ्यर्थियों के नाम, विहित रीति से नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा। विहित प्राधिकारी नियुक्ति से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन करायेगा।

आयोग की शक्तियाँ और कृत्य

सीधी भर्ती द्वारा अध्यापकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का पैनल

(4) जहां ऐसा चयनित अभ्यर्थी, नियुक्ति-पत्र में अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा नियुक्ति प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे ऐसी संस्था में किसी अध्यापक और शिक्षणेतर कर्मचारी पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है या जहां ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं है, वहां विहित अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर आयोग द्वारा उपधारा (2) के अधीन अग्रसारित पैनल से नया नाम या नये नाम, विहित रीति से सूचित करेगा। ऐसी समय-सीमा, नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के दिनांक के पश्चात् अधिकतम 01 वर्ष तक होगी।

अध्याय—तीन

चयनित अध्यापकों की नियुक्ति

आयोग की संस्तुतियों पर ही नियुक्ति किया जाना

13—किसी संस्था में अध्यापक और शिक्षणेतर कर्मचारी की प्रत्येक नियुक्ति आयोग की संस्तुति पर ही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गई कोई नियुक्ति, मृतक आश्रित के मामलों को छोड़कर, शून्य हो जायेगी। मृतक आश्रित के मामले में नियुक्ति विहित रूप में की जायेगी।

निदेशक द्वारा जांच

14—(1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी संस्था में अध्यापक और शिक्षणेतर कर्मचारी के रूप में नियुक्त किये जाने का हकदार हो, किन्तु उसके लिए उपबन्धित समय के भीतर उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, वहां वह निदेशक को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उपधारा (2) के अधीन निदेश जारी करने के लिए अपील कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन, आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से यथासम्भव एक माह के भीतर, निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जाँच आयोजित कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रबन्धतंत्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवेदक को अध्यापक और शिक्षणेतर कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने में विफल रहा है तो वह आदेश द्वारा,—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी को अध्यापक और शिक्षणेतर कर्मचारी के रूप में आवेदक को तुरन्त नियुक्त करने और आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से उसे वेतन का भुगतान करने का निदेश दे सकता है; और

(ख) सम्बन्धित संस्था के प्रधान को उससे अध्यापक और शिक्षणेतर कर्मचारी के रूप में कार्य लेने का निदेश दे सकता है।

(3) ऐसे अध्यापक और शिक्षणेतर कर्मचारी को देय वेतन की धनराशि, यदि कोई हो, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर कलेक्टर द्वारा संस्था को चलाने वाले सोसायटी या निकाय की, या उसमें निहित सम्पत्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन की रीति

15—यदि त्रुटिपूर्ण अधियाचन या मृतक आश्रित की नियुक्ति या संस्था की अल्पसंख्यक प्रास्थिति घोषित होने या मा0 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी आदेश अथवा पद समाप्ति के कारण आयोग द्वारा संस्तुत धारा 12 के उपबन्धों के अधीन प्रेषित पैनल/सूची में कोई चयनित अभ्यर्थी, अनुज्ञात संस्था में कार्यभार ग्रहण न कर सका हो, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :—

(क) ऐसे चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण न करने के कारणों का उल्लेख करते हुये अपना प्रत्यावेदन निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा;

(ख) निदेशक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन पर विस्तृत जाँच करने के पश्चात् त्रुटिपूर्ण अधियाचन प्रेषित करने हेतु उत्तरदायी संस्था या अधिकारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और चयनित अभ्यर्थी के समायोजन हेतु अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करेगा;

(ग) निदेशक की रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर आयोग अविज्ञापित अधियाचन सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी का समायोजन करेगा और समायोजन के पश्चात् चयनित पैनल/सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा;

(घ) खण्ड (ग) के अधीन प्रेषित पैनल/सूची के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी, धारा 12 के उपबंधों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेगा।

16-आयोग धारा 10 में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में किसी संस्था के प्रबंध तंत्र से ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे, और प्रबंध तंत्र उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

सूचना आदि मंगाने की शक्ति

17-आयोग के सचिव या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रबंध तंत्र के पास विद्यमान प्रत्येक अभिलेख, पंजी या दस्तावेज सुलभ रहेंगे और वह किसी युक्तियुक्त समय में ऐसे किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है जहाँ उसे यह विश्वास हो कि ऐसे अभिलेख, पंजी या दस्तावेज विद्यमान हैं और वह सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज की प्रतियों का निरीक्षण कर सकता है और उन्हें ग्रहण कर सकता है।

अभिलेख, पंजी आदि का निरीक्षण करने की शक्ति

18-नियुक्ति प्राधिकारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन से किसी अध्यापक को पदच्युत कर सकेगा या उसे सेवा से हटा सकेगा या सेवा से हटाये जाने की कोई नोटिस उसे तामील कर सकेगा या उसे पदावनत कर सकेगा अथवा उसकी परिलब्धियाँ कम कर सकेगा।

अध्यापकों की पदच्युति इत्यादि पर निर्बन्धन

अध्याय-चार

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

19-(1) आयोग का वित्तीय प्रबन्ध, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 1, 2, 3 और 5 में निर्धारित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

आयोग का वित्तीय प्रबन्ध

परन्तु यह कि आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे मामलों, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के संबंध में विशेष विनियमावली बना सकता है।

(2) आयोग का व्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से और फीस आदि स्वरूप प्राप्तियों से उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियमों और सरकार के आदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार उपगत किया जायेगा। कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियमों या राज्य सरकार के आदेशों, यदि कोई हों, का उल्लंघन करके कोई व्यय उपगत करता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(3) आय-व्ययक का प्राक्कलन सचिव के पर्यवेक्षणानुसार एवं निदेशानुसार वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार किया जायेगा और आय-व्ययक को, आयोग द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात्, उसके उपबंधों के अनुसार व्यय उपगत किया जायेगा।

(4) अध्यक्ष, स्वयं के, सदस्यों, सचिव और उप सचिव व वित्त नियंत्रक के संबंध में नियंत्रक अधिकारी होगा और आयोग द्वारा अध्यक्ष को प्रतिनिधानित की जाने वाली अन्य वित्तीय शक्तियों के अतिरिक्त ऐसी समस्त वित्तीय भाक्तियों का प्रयोग करेगा जो विभागाध्यक्ष में साधारणतया निहित हों।

(5) (एक) सचिव, आहरण एवं वितरण अधिकारी होगा किन्तु यदि वह आवश्यक समझे तो लिखित आदेश द्वारा ऐसी सभी या कोई शक्ति उप सचिव को प्रतिनिधानित कर सकता है;

(दो) सचिव ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो किसी कार्यालय के प्रधान में निहित हों। इसके अतिरिक्त आयोग सचिव को ऐसी अन्य वित्तीय शक्तियाँ प्रतिनिधानित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

20-आयोग, प्रतिवर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा कि विहित किया जाय, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें उसके पूर्ववर्ती वर्ष के कार्य कलापों का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियाँ, राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

21-(1) आयोग अपने लेखा के सम्बन्ध में ऐसी लेखा बहियाँ और अन्य बहियाँ, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से रखवायेगा जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

लेखा और लेखा परीक्षा

(2) आयोग अपना वार्षिक लेखा बन्द करने के पश्चात् यथा त्वय शीघ्र लेखा विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा और उसे महालेखाकार को नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखा परीक्षा के लिये ऐसे दिनांक, जैसा कि राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से अवधारित करे, तक अवधारित करेगा।

(3) आयोग का वार्षिक लेखा और उसके साथ-साथ उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और सरकार उसे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय-पांच

प्रकीर्ण

अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके अध्यापकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए दण्ड

अल्पसंख्यक संस्थाओं को छूट
सदभावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

नियम बनाने की शक्ति

विनियम बनाने की शक्ति

कठिनाइयां दूर करने की भांक्ति

निरसन और व्यावृत्तियां

22-कोई व्यक्ति, जो आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन करने में विफल हो या धारा 13 के अधीन निदेशक के आदेश या निदेश का अनुपालन करने में विफल हो या इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक और शिक्षणोत्तर कर्मचारी की नियुक्ति करे, दोष सिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना से, जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

23-इस अधिनियम की कोई बात 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।

24-इस अधिनियम के अधीन सदभावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

25-राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

26-(1) आयोग, चयन आयोजित करने के लिए, साक्षात्कार आयोजित करने के लिए, शुल्क विहित करते हुए और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और कृत्यों का सम्पादन करने के लिए तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करते हुए, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियमावली बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है :

परन्तु, यह कि इस उपधारा के अधीन प्रथम विनियमावली राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना के माध्यम से बनायी जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनायी गयी विनियमावली इस अधिनियम या धारा 25 के अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं होगी।

27-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिसूचित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे उपांतर, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

28-(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन से निरसनों के प्रवर्तन के संबंध में उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1904) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा या वह प्रभावित नहीं होगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध तथा सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों का चयन करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाई स्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का चयन करने के लिए इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन स्थापित किया गया है और बेसिक तथा जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों का चयन, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार किया जाता है। उपर्युक्त चयन की पद्धतियाँ लोक कल्याण के अनुकूल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापकों के चयन समय से नहीं किये जाते हैं जिसके कारण विभिन्न संस्थाओं में अध्यापकों की बहुत सी रिक्तियाँ विद्यमान होती हैं जिससे राज्य में छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतएव प्रचलित चयन पद्धतियों के स्थान पर यथा पूर्वोक्त रूप में संस्थाओं के अध्यापकों तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का चयन करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नामक आयोग स्थापित करने का उपबन्ध करने के लिए एक सामान्य विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे०पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 2241(2)/LXXIX-V-1-19-1(Ka)-21-19

Dated Lucknow, December 27, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shiksha Sewa Chayan Ayog Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2019. The Uchcha Shiksha Anubhag-5 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH EDUCATION SERVICE SELECTION COMMISSION ACT, 2019

(U.P. Act no. 22 of 2019)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the establishment of an Education Service Selection Commission in the State for selection of the teachers and non-teaching employees of non-government aided colleges affiliated and associated by an University governed by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, non-government aided intermediate colleges, higher secondary schools, high schools and attached primary schools, basic and junior high schools recognised by the Uttar Pradesh Board of Secondary Education, Prayagraj and the Uttar Pradesh Basic Education Board, Prayagraj established under the Intermediate Education Act, 1921 and the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 respectively.

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER- I

Preliminary

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2019.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Board" means the Board of Secondary Education, Uttar Pradesh, Prayagraj or the Basic Education Board, Uttar Pradesh, Prayagraj in relation to the institutions of secondary education and basic education respectively;

(b) "Commission" means the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission established under section 3;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission, and includes any other person performing, in the absence of the Chairperson for the time being, the functions of the Chairperson;

(d) "Director" means the Director of Higher Education, or the Director of Secondary Education, or the Director of Basic Education as the case may be and includes Joint Director of Higher Education and an Additional Director of Secondary/Government/ Basic Education authorized by him;

(e) "Authorized Officer" means the Director or any other person authorized by the State Government;

(f) "Institution" means any of the following, institutions other than an institution established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution :-

(1) an affiliated or associated non-government aided college to which the privilege of affiliation has been granted by a University established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973;

(2) a non-government aided Intermediate College or a Higher Secondary School or a High School and an attached primary school recognized by the Board established under the Intermediate Education Act, 1921;

(3) a school of the Uttar Pradesh Basic Education Board or an aided junior high school and includes an aided attached primary school recognized by the Board established under the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

(g) "Management" in relation to an institution means the committee of management or a person or an authority vested with the powers to manage and conduct the affairs of that institution;

(h) "Member" means a member of the Commission ;

(i) "Non-Teaching Employee" means a person employed in an institution for purposes other than teaching;

(j) "Other Backward Classes of Citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule I to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994;

(k) "Regulations" means the regulations made under section 26;

(l) "Teacher" means a person employed for imparting instructions in an institution and includes a Principal or a Headmaster but does not include principal of a Government inter college and headmaster of a Government high school;

(m) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

(2) Words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, the Intermediate Education Act, 1921 or the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, shall have the meanings respectively assigned to them in the respective Act.

CHAPTER- II

Establishment and Functions of the Commission

3. (1) The State Government shall, by notification in the *Gazette*, and with effect from a date to be specified therein, establish a Commission by the name of the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission.

Establishment of the Commission

(2) The Commission shall be a body corporate.

(3) The headquarter of the Commission shall be at Prayagraj.

4. On and from the commencement of this Act,-

Transfer of assets and liabilities

(a) all properties and assets of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission and the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board shall stand transferred to, and vest in the Commission;

(b) all debts, liabilities and obligations of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission and the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board whether contractual or otherwise, shall stand transferred to the Commission;

(c) the services of every whole-time employee of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission and the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board shall stand transferred to the Commission;

(d) any matter pending before the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission and the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as it stood immediately before establishment of the Commission shall stand transferred to the Commission.

5. (1) The Commission shall consists of the following Chairperson and members to be appointed by the State Government:-

Constitution of the Commission

(a) the Chairperson shall be a person who, -

(i) is or has been a member of Indian Administrative Service who has held the post of Principal Secretary or equivalent thereto in the State Government; or

(ii) is or has been a Vice-Chancellor of any University established by law; or

(iii) is or has been a Professor of any University established by law for at least ten years and have at least three years of administrative experience;

(b) One member shall be a person who is or has been a member of Indian Administrative Service who has held the post of Secretary or any other equivalent post under the State Government;

(c) One member shall be a person who is or has been not less than a Joint Director, Higher Education, whose services have been of excellent category ;

(d) One member shall be a person who is or has been not less than a Joint Director, Secondary Education or Basic Education, whose services have been of excellent category;

(e) Four members shall be educationists, whose services has been of excellent category, who in the opinion of the State Government, have made significant contribution in the field of education.

(2) Every appointment under this section shall take effect from the date on which it is notified by the State Government.

Term of office and conditions of service of Chairperson and members

6. (1) Subject to the provisions of this Act, the Chairperson and a member shall hold office for a term of five years, from the date of assumption of office thereof or till he/she attains the age of sixty five years whichever is earlier.

(2) No person shall hold office of the Chairperson or a member for more than two consecutive terms.

(3) The Chairperson or a member may resign his office by writing under his/her hand addressed to the State Government, but he/she shall continue in office until his/her resignation is accepted by the State Government.

(4) The office of the Chairperson or the members shall be whole time and the terms and conditions of service of the Chairperson or the members, shall be such as the State Government may, by order, direct.

Powers to remove.

7. (1) The State Government may, by order, remove from office the Chairperson or any member, if he/she,—

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) engages, during his/her term of office, in any paid employment outside the duties of his/her office; or

(c) is, in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or of proved misconduct; or

(d) incurs any disqualification under this Act or the rules made there under.

Explanation—

(1) Where the Chairperson or a member becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of any institution or participates in any way in the profits thereof or in any benefit or emolument arising therefrom, otherwise than as a member, he shall, for the purpose of clause (c), be deemed to be guilty of misconduct.

(2) The procedure for the investigation and proof of misconduct under this section shall be such as may be prescribed.

Power to associate

8. The Commission may associate with itself, in such manner and for such purpose, any person whose assistance or advice it may consider necessary in carrying out any of the provisions of this Act.

Officers and employees of the Commission

9. (1) The Secretary, the Exam Controller, the Finance Controller and the Deputy Secretary of the Commission shall be appointed by the State Government on deputation for a term not exceeding three years and other conditions of his service shall be such as the State Government may, by order, determine.

(2) Subject to such directions as may be issued by the State Government in this behalf, the Commission may appoint such other employees as it may think necessary for the efficient performance of its functions under this Act on such terms and conditions of service as the Commission may prescribe by regulations.

Powers and functions of the Commission

10. The Commission shall have the following powers and functions, namely,—

(a) to prepare guidelines on matters relating to the method of recruitment of teachers and non-teaching employees;

(b) to conduct examination, where necessary and hold interviews and make selection of candidates for being appointed as teachers and non-teaching employees;

(c) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes specified in clause (b);

(d) to make recommendations regarding the appointment of selected candidates;

(e) to advise the Management in matters relating to dismissal, removal or reduction in rank of teachers of the institutions;

(f) to obtain periodical returns or other information from institutions regarding strength of the teaching staff and the appointment, promotion, dismissal, removal, termination or reduction in rank of teachers;

(g) to fix the emoluments and travelling and other allowances of the experts;

(h) to administer the funds placed at the disposal of the Commission;

(i) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed or as may be incidental or conducive to the discharge of its functions under this Act or the rules or regulations made thereunder.

11. (1) For the purpose of making selection for appointment of teachers and non-teaching employees, by direct recruitment, the management shall determine the number of vacancies existing or likely to fall vacant during the year of recruitment and in the case of a post other than the post of Head of the institution, also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, and notify the vacancies to Commission in such manner and through such officer or authority as may be prescribed.

Procedure of selection of teachers and non-teaching employees by direct recruitment

(2) For the purpose of selection of candidates for appointment of teachers and non-teaching employees by direct recruitment, ten percent reservation for the persons of economically weaker section shall be prescribed by the State Government and reservation shall be permissible as per the specifications issued by the State Government from time to time.

Explanation—For the purposes of this Act the words “economically weaker section” means the persons refers to in the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019.

(3) The procedure of selection of candidates for direct recruitment to the posts of teachers and non-teaching employees shall be such as may be prescribed.

12. (1) The Commission shall, as soon as may be, after the vacancy is notified under sub-section (1) of section 11, hold examinations and interviews of the candidates other than the candidates of assistant teacher (TGT), assistant teacher junior basic school and senior basic school and non-teaching employees and prepare a panel of those found suitable for appointment.

Panel of candidates

(2) The panel referred to in sub-section (1) shall be forwarded by the Commission to the officer or authority referred to in sub-section (1) of Section 11 in such manner as may be prescribed.

(3) After the receipt of the panel under sub-section (2) the authorized officer shall, in the prescribed manner, intimate the appointing authority of the Institutions the names of the selected candidates in respect of the vacancies notified under sub-section (1) of section 10. The appointing authority shall, within a period of ninety days from the date of receipt of such intimation issue appointment letter to such selected candidates. The prescribed officer shall conduct the character verification of the selected candidates before appointment.

(4) Where such selected candidate fails to join the post of a teacher and non-teaching employees in such Institution within the time allowed in the appointment letter or within such extended time as the appointing authority may allow in this behalf, or where such candidate is otherwise not available for appointment, the prescribed officer may, on the request of the appointing authority, intimate in the prescribed manner, fresh name or names from the panel forwarded by the Commission under sub-section (2). Such time limit shall be up to a maximum of 01 year after the date of issuing of appointment letter.

CHAPTER- III

Appointment of Selected Teachers

Appointments to be made only on the recommendations of the Commission

13. (1) Every appointment of a teacher and non-teaching employee in an institution shall be made by the appointing authority only on the recommendation of the Commission and any appointment, excluding the cases of dying-in-harness, made in contravention of the provisions of this Act shall be void. The appointment under the dying-in-harness shall be done as prescribed.

Inquiry by Director

14. (1) Where any person is entitled to be appointed as a teacher and non-teaching employee in any institution in accordance with the provisions of this Act, but he/she is not appointed by the appointing authority within the time provided therefor, he/she may prefer an appeal to the Director or any officer authorised by him for issuing a direction under sub-section (2).

(2) As far as may be within one month from the date of receipt of an application under sub-section (1), the Director or the officer authorised by him may hold an inquiry, and if he is satisfied that the management has failed to appoint the applicant as a teacher and non-teaching employee, in accordance with the provisions of this Act, he may, by order, direct -

(a) the appointing authority to appoint the applicant as a teacher and non-teaching employee forthwith, and to pay him salary from the date specified in the order; and

(b) the head of the Institution concerned to take work from him as a teacher and non-teaching employee.

(3) The amount of salary, if any, due to such teacher and non-teaching employee shall, on a certificate issued by the Director or the officer authorised by him, be recoverable by the Collector as arrears of land revenue from the property belonging to or vested in the society or body running the institution.

Mode of adjustment of the selected candidates by the Commission

15. If a selected candidate recommended by the Commission in the panel/list sent under the provisions of section 12 could not join in the allowed institution due to defective requisition or appointment under dying-in-harness or declaration of minority status to the institution or any order of the Hon'ble Supreme Court or High Court or abolition of the post, the following procedure shall be adopted:-

(a) Such selected candidate shall submit his/her representation before the Director mentioning the reasons for not joining to the institution;

(b) The Director shall, after detailed enquiry on the representation submitted by the candidate, fix responsibility against the responsible institution or officer for sending defective requisition and send a report to the Commission with his recommendation for adjustment of the selected candidate;

(c) On the basis of the report and recommendation of the Director, the Commission shall adjust the selected candidate against the non-advertised requisition and shall send selected panel/list to the appointing authority after adjustment;

(d) On the basis of the panel/list sent under clause (c), the appointing authority shall ensure the joining of the selected candidate as per the provisions of section 13.

16. The Commission may require the Management of an Institution to furnish such information or return regarding the matters referred to in section 10 as it thinks fit, and the Management shall be bound to comply with the same.

Power to call for information etc.

17. The Secretary of the Commission or any other person authorized by the Commission, shall have access to every record, register or document in possession of the Management and he may enter at any reasonable time any premises where he believes such record, register or document to be and may inspect and take copies of relevant record or document.

Power to inspect, record register etc.

18. The appointing authority may with the prior approval of the Commission dismiss any teacher or remove him from service or serve on him any notice of removal from service, or reduce him in rank or reduce his emoluments.

Restriction on dismissal etc. of teachers

CHAPTER-IV

Annual Reports and Accounts

19. (1) The financial management of the Commission shall be done in accordance with the rules laid down in Financial Hand-Book, Volume 1,2,3 and 5:

Financial Management of the Commission

Provided that the Commission may, with prior approval of the State Government, make special regulations in respect of such matters as it may consider necessary.

(2) The expenditure of the Commission shall be incurred, from the grants given by the State Government and receipt by it as fees etc. in accordance with rules, referred to in sub-section (1) and that of the orders of the State Government, if any. A person who incurs expenditure in violation of the rules referred to in sub-section (1), or the orders of the State Government, if any, shall be personally responsible.

(3) The budget estimate shall be prepared by the Finance Controller under the supervision and direction of the Secretary and the expenditure incurred according to the provisions of the budget after it is approved by the Commission.

(4) The Chairperson shall be the controlling officer with regard to himself, the Members, the Secretary, Deputy Secretary and Finance Controller and shall exercise all such financial powers as are ordinarily vested in the Head of the Department, in addition to, such other financial powers to be delegated by the Commission to the Chairperson.

(5) (i) The Secretary shall be the drawing and disbursing officer but he may, if he considers it necessary, by an order in writing, delegate all or any of such powers to the Deputy Secretary;

(ii) The Secretary shall exercise all such powers as are vested in the Head of an Office. Besides, such other financial powers the Commission may delegate to the Secretary as it may consider necessary.

Annual Reports

20. The Commission shall prepare in every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving accurate and full account of its activities of the previous year and copies thereof shall be forwarded to the State Government and the State Government shall cause the same to be laid before both the Houses of the State Legislature.

Accounts and Audit

21. (1) The Commission shall cause to be maintained such books of accounts and other books in relation to its account, in such form and in such manner as the State Government may, by general or special order, direct.

(2) The Commission shall as soon as may be after closing its annual accounts, prepare statement of accounts in such form and forward the same to the Accountant General, by such date as the State Government may, in consultation with the Accountant General determine, for audit under section 14 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Power and Conditions of Service) Act, 1971.

(3) The annual accounts of the Commission together with the audit report thereon shall be forwarded to the State Government and the State Government shall cause the same to be laid before both Houses of the State Legislature.

CHAPTER - V

Miscellaneous

Punishment for appointment of teachers and non-teaching employees in contravention of the provisions of the Act

22. Any person who fails to comply with the recommendations of the Commission or fails to comply with the order or direction of the Director under section 13, or appoints a teacher and non-teaching employee in contravention of the provisions of this Act shall on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.

Exemption to Minority Institutions

23. Nothing in this Act shall apply to an institution established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

Protection of action taken in good faith

24. No suit, prosecution or other proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Power to make rules

25. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make regulations

26. (1) The Commission may, with the previous approval of the State Government, make or amend regulations prescribing fees for holding selections, for holding interviews and laying down the procedure to be followed by the Commission for discharging its duties and performing its functions under this Act :

Provided that the first Regulation under this sub-section shall be made by the State Government by notification in the *Gazette*.

(2) The Regulations made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act or the rules made under section 25.

Power to remove difficulties

27. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty, by a notified order, direct that the provisions of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid down before both the Houses of State Legislature.

28. (1) The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980 and the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982 are hereby repealed.

Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Acts referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

(3) Save as otherwise provided in this Act the repeal of Acts referred to in sub-section (1) shall not held to prejudice or affect the general application of section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (UP Act no. of 1904) with regard to the effect of repeals.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Higher Education Service Commission has been established for selection of teachers of non-Government aided colleges affiliated and associated by an University established under the Uttar Pradesh State University Act, 1973, the Uttar Pradesh Board of Secondary Education, Prayagraj has been established under the Intermediate Education Act, 1921 for the selection of teachers of non-Government aided intermediate colleges, higher secondary schools, high schools and attached primary schools and for the selection of teachers of basic and junior high schools are made in accordance with the rules framed under the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972. The above mode of selection are not conducive to public good. Apart from this the selection of teachers are not made timely due to which there are many vacancy of teachers are existing in various institutions, which affect adversely the education of students in the State. It has, therefore, been decided to make a common law to provide for the establishment of a Commission by the name of the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission for the selection of teachers and non-teaching employees of the institutions as aforesaid, instead of the prevailing mode of selection.

The Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Bill, 2019 is introduced accordingly.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 493 राजपत्र-(हि०)-2019-(1247)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 108 सा० विधायी-2019-(1248)-300 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।